दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम में कार्यरत अध्यापकों को आवासीय सुविधाएं

786. **श्री सुनील कुमार पटनायक** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान दिल्ली नगर निगम, दिल्ली प्रशासन दिल्ली के अधीन शिक्षा निदेशालयों में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को आवासीय सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित उन अध्यापकों की कुल संख्या कितनी है जो कि पिछले 15 वर्षों से बराबर सेवा में हैं और उन्हें अभी तक कोई आवास प्रदान नहीं किया गया है ; और

(घ) क्या भविष्य में आवास समस्या की स्थिति में सुधार लाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अध्यापक केन्द्रीय सरकार के सामान्य पूल से रिहायशी वास के आवंटन के लिए पात्र हैं बशर्ते कि वे आवंटन नियमों तथा दिल्ली प्रशासन के सामान्य पूल के प्रावधानों को पूरा करते हों। दिल्ली नगर निगम के अधीन स्कूलों के अध्यापक निगम के अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ दिल्ली नगर निगम के रिहायशी वास का आवंटन प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ग) इस प्रकार के आंकडे नहीं रखे जाते हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार के सामान्य पूल तथा दिल्ली प्रशासन के सामान्य पूल दोनों ही के लिए अधिकरिहायशी वास का निर्माण उपलब्ध सीमित निधियों के भीतर करने का सरकार का विचार है। दिल्ली नगर निगम के पास भी अपने कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण की योजनाएं हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि की बिक्री

769. **श्री सुनील कुमार पटनायक** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि की अनधिकृत बिक्री में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि की अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने का विचार रखती है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) भूमि की अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने के प्रयास जारी रहेंगे।

सीलमपुर, दिल्ली के झुग्गी वासियों को प्लाटों का आवंटन

770. **श्री सुनील कुमार पटनायक** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चालू वर्ष के दौरान गुरुद्वारा, सीलमपुर, दिल्ली-110032 के इर्दगिर्द झुग्गी वासियों को प्लाट आवंटित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित सभी झुग्गी वासियों को प्लाटों के आवंटित किए जाने में कोई विसंगति

सरकार के ध्यान में आई है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि सीलमपुर कालोनी के झुग्गी निवासियों के पुनर्वास के लिये दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई विशेष योजना नहीं बनाई गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Functioning of BALCO

771. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Public sector undertaking Bharat Aluminium Company (BALCO) has been incurring losses worth lakhs of rupees every year due to agitation by the local people of the Sambhalpur;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what steps are being contemplated by Government to normalise the functioning of the BALCO?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF MINES IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): (a) to (c) The work on Gandhamardan Bauxite Project of Bharat Aluminium Company Ltd. (BALCO) in Orissa has been slowed down considerably since December, 1985 due to the agitation by the local people apprehending damage to the forests, temples and ecology of the area as a result of bauxite mining. Due to the stoppage of work BALCO has been incurring unremunerative expenditure of about Rs. 3 lakhs per month by way of wages, etc. The matter is receiving attention of the Government at a high level in order to resolve the issue.

दिल्ली में झुग्गी वासियों को भूमि का आवंटन

772. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** . क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले उन लोगों को, जो कि तीन वर्षों से अधिक समय से लगातार वहां रह रहे हैं, मकान या प्लाट उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उन्हें मकान या प्लाट कब तक उपलब्ध करा दिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) झुग्गी झोंपड़ी निवासियों को मकानों/प्लाटों के आवंटन के लिए फिलहाल कोई योजना नहीं है परन्तु अनधिवासियों सहित समाज के निम्न स्तर/आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को विकसित प्लाटों के प्रावधान हेतु एक योजना बनाई जा रही है। ज्यों ही यह योजना प्रवृत्त कर दी जाएगी, झुग्गी निवासी उस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

विधवाओं और गरीब व्यक्तियों को मकानों या प्लाटों का आवंटन

773. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में उन विधवाओं और गरीब व्यक्तियों को, जिनकी मासिक आय 750 रुपये से कम है, दिल्ली में 21 वर्ग मीटर के प्लाट पर निर्मित मकानों के आवंटित किए जाने की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना को देश के सभी राज्यों में भी कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है,